उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-01/2021/595/तीस-4-2021
लखनऊः दिनांकः 22 मार्च, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 (यथा संशोधित) के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 'उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग स्टेनोग्राफर्स संघ' को एतद्द्वारा इस शर्त के अधीन मान्यता प्रदान की जाती है कि उक्त संघ एवं इसके संविधान में केवल वही पद अनुमन्य होंगे जो उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 के परिशिष्ट-चार में दिये गये मानक नियमावली के प्रारूप के प्रस्तर-7 में उल्लिखित हैं।

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर परिवहन आयुक्त(प्रशासन), उत्तर प्रदेश।
3. कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. श्री अरूण यादव, महामंत्री, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग स्टेनोग्राफर्स संघ, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।